


असहायक वरिष्ठ सहायक कलक्टर

28/07/22

पजावली केरा इरी) वकील (उत्तमपुत्र उपस्थित)
पजावली इरी में साक्ष्य जारी हेतु नियत है।
पजावली का अध्ययन कर पाया कि मौजूदा
उत्तरण से संबंधित विवादग्रस्त कृषि बाक
भाषी भीतर लाकर रेजिस्ट्रार कार्यालय पत्र
(लम्बित होने) तदनुसार द्वारा न्यायालय को
उपरोक्त पत्र क्रमांक लु.अ. कोटी/ 22/ 833 दिनांक
16/4/2022 के माध्यम से अवगत करवाया है।
इसलिए न्यायक्षेत्र में यह उचित उचित होता
है कि रेजिस्ट्रार निर्णित क्षेत्र के पश्चात् हस्तगत
कार्ड के पत्रकार इस उत्तरण में कार्यवाही
करने के लिए स्वतन्त्र है तब तक मौजूदा
उत्तरण में कोई कार्यवाही किए जाने का
कोई औचित्य नहीं है और उत्तरण को
लम्बित रखने का भी कोई औचित्य नहीं
है। मौजूदा उत्तरण को जिलादाल नम्बर
से कम कर दायित्व दफतर किया जाना
उचित है, इसमें पत्रकारानु के समय त्रुटि
और धान की भी बचत होगी। रेजिस्ट्रार
के निर्णय के पश्चात् इस उत्तरण को

असहायक वरिष्ठ सहायक कलक्टर
कोटा (अ.प्र.)

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>कोई भी प्रकार हस्तगत उकरण की उन लाल नमूने पर लेकल उकरण में आगामी कार्रवाई करने के लिए आवेदन देने हेतु स्वतंत्र है। उम्मेद विवेचन के अन्तर्गत फिलहाल पत्रावली दारिद्र्यल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">  अरशरीफ बरार (आर.ए.एस.) सहायक कल जयपुर शहर प्रथम </p>	